क्रमांक 4/19/2003-2 प्रशिक्षण

प्रेषक,

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

सेवा में

1. सभी विभागाध्यक्ष हरियाणा सरकार।
2. सभी मण्डल आयुक्त, हरियाणा सरकार।
3. सभी उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/ उप-मण्डल अधिकारी(नागरिक), हरियाणा सरकार ।

दिनांक चण्डीगढ. 30 अप्रैल, 2004

विषयः **अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम/ विचारागोष्ठियों तथा कार्यशालाओं हेतु खर्चे की सीमा बढाने बारे।**

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि मैं आपका ध्यान सरकार के पत्र क्रमांक 4/128/88-2प्रशिक्षण दिनांक 22.8.1990 की और दिलाऊं तथा सूचित करूं कि काफी समय से अधिकारियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम/विचारागोष्ठियों तथा कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए भेजने हेतु निर्धारित खर्चे की सीमा को बढाने बारे मामला सरकार के विचाराधीन था। विचारोपरान्त अब सरकार ने यह निर्णय लिया है कि आई.ए.एस./एच.सी.एस अधिकारियों के मामले में प्रशिक्षण के खर्च (अनिवार्य प्रशिक्षण के अतिरिक्त) की सीमा 5000/- रूपये से बढाकर 15000/-रूपये तथा नान आई.ए.एस./एच.सी.एस के केस में खर्च की सीमा 1000/- रूपये से बढाकर 5,000/-रूपये कर दी जाये। तदानुसार अनुरोध है कि भविष्य में अधिकारियों के आवेदन पत्र अग्रेषित करते समय खर्चे की उक्त सीमा को दृष्टिगत रखा जाये।

यह हिदायतें भारत में होने वाले सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों इत्यादि के लिये सभी विभागों के अधिकारियों द्वारा भाग लेने पर लागू होंगी।

भवदीय,

अवर सचिव, प्रशिक्षण,
कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

इसकी एक प्रति सूचना एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को भेजी जाती हैः-

1. हरियाणा के सभी वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव।
2. हरियाणा के सभी प्रशासकीय सचिव।

अवर सचिव, प्रशिक्षण
कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

अशाः क्रमांक 4/19/2003-2प्रशिक्षण

दिनांक 30.04.2004